अपील(सू.का.अ)संख्या 85/2025 बउनवानी बी.एस.शर्मा बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर
नि0 32 ए राजबिहार कॉलोनी राजकीय कन्या महा0 के पास स0मा0
GCMS No-2025/ 192

# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 3.9.2025 | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 23.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर*" बालाजी महिला महाविद्यालय मैनपुरा का ख0न0 2436/282,2438/282, का भवन प्रमाण पत्र,जनजाति महिला विकास संस्थान को भूमि आवंटन से संबंधित सूचना सहित कुल 4 बिन्दुओ की सूचना "* तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।<br><br>लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ/आरटीआई/2025/109 दिनांक 25.8.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.6.2025 को 6(1) के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना कार्यालय मे तलाश करवाये जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब मे अंकित किया है।<br><br>अपीलान्ट द्वारा भी दिनांक 25.8.2025 को जरिये डाक अपनी आपत्ति प्रेषित कर अवगत कराया कि चाही गयी सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अभी तक उपलब्ध नही करवायी गयी है । अतः वांछित सूचनाऐ उपलब्ध करवायी जावे।<br><br>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 23.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचनाऐ तहसील कार्यालय में तलाश करवाये जाने के उपारान्त भी उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा भी चाही गयी सूचनाओं का पूर्ण विवरण यथा प्रमाण पत्र एवं भूमि आवंटन आदेश का क्रमांक दिनांक इत्यादि अंकित नही करने के कारण चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Kana Ram<br>Date: 2025.10.21 15:35:29 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(कानाराम )<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर |

Scanned with OKEN Scanner